BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 जनवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 01 नाबालिग लडकी को मुक्त होने की सम्भावना के साथ आजीवन कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त नाबालिग लडकी द्वारा वर्ष-2016 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक लडके उम्र 12 वर्ष की चोट पहुंचाकर हत्या करना व शव को जलाने की कोशिश करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.08.2016 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 892/16 धारा- 302,34,201 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 16.09.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें नाबालिग अभियुक्ता के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.01.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो- बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर नाबालिग लडकी को मुक्त होने की सम्भावना के साथ आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री धर्मेन्द्र राघव, श्री वरुण कौशिक व श्री भरत शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्ता को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर